महत्वपूर्ण

पत्रसं0-22/2025/बी-1-1758/दस-2025

प्रेषक,

डॉ0 सारिका मोहन,

सचिव,

वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) ग्राम्य विकास आयुक्त , उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2025

विषयः केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की SNA-SPARSH प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कटौतियों के संबंध में ।

महोदय,

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025के प्रस्तर)3- ख(6)(में यह उल्लिखित है कि भारत सरकार के व्यय विभाग के पत्रांक-OM No-1-126/6/2024-ITD-CGA/64 दिनांक 2025-07-28 में दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न कटौतियों के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वैधानिक कटौतियों के सम्बंध में कोषागार प्रणाली में व्यवस्था है, वहां कोषागार प्रणाली की व्यवस्था के अनुसार ही कटौतियों के सम्बंध में कार्यवाही की जायेगी।

.2 निदेशक कोषागार द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि SNA-SPARSH के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भुगतान कराये जाने हेतु विभागीय सॉफ्टवेयर - OMMAS से integration की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु OMMAS के माध्यम से तैयार किये गए बिलों से GST, Security Deposit आदि की कटौती किया जा सकना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि OMMAS सॉफ्टवेयर में एक ही बेनिफिशियरी बनाये जाने का प्रावधान है जिसके कारण कटौतियों हेतु होल्डिंग अकाउंट को बेनिफिशियरी नहीं बनाया जा सकता। इस समस्या के निराकरण हेतु निदेशक कोषागार द्वारा Security deposit एवं GST की कटौती हेतु लोक लेखा के अन्तर्गत क्रमशः लेखाशीर्ष "8443- सिविल जमा" एवं "8658-उचन्त लेखे" को जोड़ने की व्यवस्था SNA-SPARSH पर किये जाने का प्रस्ताव करते हुये शासन की अनुमति चाही गयी है।

.3 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा SNA-SPARSH पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु Security deposit एवं GST की कटौती के लिए लोक लेखा के संगत लेखाशीर्ष "8443-सिविल जमा" एवं "8658-उचन्त लेखे" को जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीया,

डॉ0 सारिका मोहन
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्रसं0-22/2025/बी-1-1758/दस-2025,तद्दिनांक-:

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य इकाई, सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
3. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबरट्रेजरी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ०प्र०, शासन।
6. उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।